

(AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT OF NOTIFICATION NO.STV(TE)B(2)4/85-II
DATED 15-10-1987 AS REQUIRED UNDER CLAUSE (3) OF ARTICLE 348
OF THE CONSTITUTION OF INDIA).

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
DEPARTMENT OF TECHNICAL EDUCATION
VOCATIONAL & INDUSTRIAL TRAINING.

No.STV(TE)B(2)4/85-II

Dated Shimla-2, the 15th October, 1987.

N O T I F I C A T I O N

In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh, Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Master/Instructor Knitting in the Department of Technical Education, Vocational & Industrial Training, Himachal Pradesh as per Annexure-"A" attached to this notification:-

Short title &
Commencement.

- 1.(i) These Rules may be called the Himachal Pradesh Technical Education, Vocational & Industrial Training Department, Recruitment and Promotion Rules-1987 for the post of Master/Instructor Knitting.
- (ii) These shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

Rules.

2. The number of posts, classification, pay scale, qualification and method of Recruitment etc, for the post of Master/Instructor Knitting shall be as specified in the Annexure "A".
3. The Recruitment and Promotion Rules for the post of Master/Instructor Knitting notified vide Industries Department Notification No.1-150/69-SI(Estt), dated 23rd Jan., 1970, are hereby repealed.

Repeal and
Saving.

Provided that such repeal shall not effect the provision operation of the

con d/2

-----2-----

said Rules or anything done or any
action taken thereunder.


By order

Attar Singh
Financial Commissioner ~~and~~ Secretary
(Technical Education, Vocational &
Industrial Training) to the Government
of Himachal Pradesh.

Endst. No. STV(TE)B(2)4/85-II, Dated Shimla-2, the October, 1987. ^{15/11}

Copy forwarded to the:-

1. Secretary, H.P; Public Service Commission, Shimla-171002 for information with three spare copies with reference to his letter No. 6-3/71-PSC, dated 24-1-1987 and 3.6.1987.
2. The Joint Secretary(Personnel) to the Govt. of Himachal Pradesh, Shimla-2.
3. All Administrative Secretaries, H.P; Government, Shimla-2, for information.
4. All Head of Departments in Himachal Pradesh.
5. The Director, Technical Education, Vocational & Industrial Training, H.P; Sundernagar, Distt. Mandi for information and necessary action with ~~ten~~ spare copies.
6. The Deputy Controller, H.P; Press, Shimla-5 for publication in Rajparta(Extra ordinary), 70 copies of the notification be supplied to this Department.
7. Deputy Legal Remeberancer, Himachal Pradesh, Government, Shimla-2.


Under Secretary (TE) to the
Government of Himachal Pradesh.

"K.C.SHARMA"

ANNEXURE-A.

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF MASTER/INSTRUCTOR
KNITTING CLASS-III(NON-GAZETTED)IN THE DEPARTMENT OF TECHNICAL
EDUCATION VOCATIONAL & INDUSTRIAL TRAINING,H.P.GOVERNMENT.

-
1. Name of the Post: Master/Instructor Knitting
 2. Number of Post: One(1)
 3. Classification: Class-III(Non-Gazetted)
 4. Pay Scale: Rs.510-540.
 5. Whether Selection Post or Non-Selection.

6. Age for direct recruitments: Between 18 to 32 Years.

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis;

Provided further that if a candidate appointed on ~~xx~~ adhoc basis had become overage on the date when he was appointed as such he shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his such adhoc or on contract ~~xxxxx~~ appointment;

Provided further that upper age limit is relaxable for Schedule Castes/ Schedule Tribes/other categories of persons to the extent permissible under the general or special orders of the Himachal Pradesh Government.

provided further that the employees of all the Public Sector Corporation and Autonomous Bodies who absorption in Public Sector Corporation/ Autonomous Bodies at the time of initial constitution

2:-

of such corporation/autonomous bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Govt. Servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporation/autonomous bodies who were/are subsequently appointed by such corporation/autonomous bodies and are/were finally absorbed in the service of such corporation/autonomous bodies after initial constitution of the Public Sector Corporation/autonomous bodies.

Note-1

Age Limit for the direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the posts are advertise for inviting applications or notified to employment exchanges as the case may be.

Note-2

Age and Experience in the case of direct recruitment relaxable at the discretion of the H.P. Public Service Commission in case of the candidate otherwise will qualified.

7. Minimum educational & other qualifications required for direct recruitment:

ESSENTIAL:-

- i) Matric from recognised University/ Board or equivalent.
- ii) National Trade Certificate in the Trade concerned (i.e. Knitting), hand and Machine) recognised/ issued by NCVT.
- iii) Minimum experience of 2 years in the trade concerned in an Industrial Training Institute and or in a reputed Industrial concern.

DESIRABLE:-

- i) Craft Training Institute Trained.
- ii) Knowledge of customs and manner and dialects of H.P. suitability for appointment in peculiar condition prevailing in the Pradesh.

Contd. on P.NO. 3/-

-:3:-

8. Whether age and educational Qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of the promotees. Not applicable.
9. Period of probation, if any. Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.
10. Method ~~xx~~ for recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, deputation/transfer and the percentage of vacancies to be filled by various methods. By direct recruitment.
11. In case of recruitment by promotion, deputation, transfer, grades from which promotions, deputations, transfer to be made. Not Applicable.

Note-1.

In all cases of promotion, an adhoc service rendered in the feeder post upto 31.12.1965, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the conditions:-

Continued on Page 0.4/-

- 4:
(a) that all in cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service including adhoc service rendered upto 31.12.1983 in the feeder post, in view of the provisions referred to above, all persons senior to him in the respective post/category/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration.

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of atleast three years or that prescribed in the Recruitment and Promotion Rules for the post, whichever is less;

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the proceeding proviso, the person(s) Junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

- (b) Similarly, in all cases of confirmation adhoc service rendered in the post upto 31.12.1983, if any prior to the regular appointment against such post shall be taken into account towards the length of service.

Provided that the inter-se seniority as a result of confirmation after taking into account adhoc service shall remain unchanged.

- (c) Adhoc service rendered after 31.12.1983 shall not be taken into account for confirmation/promotion purposes.

Note:2

Provisions of Rules 10 and 11 are to be revised by the Government in consultation with the H.P. Public Service Commission, as and when the number of posts under Rule-2 are increased.

12. If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.

As may be constituted by the Govt. from time to time.

13. Circumstances under which the H.P. Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.

As required under the law.

14. Essential Recruitment -for direct recruitment:

A candidate for appointment to any service or post must be:-

- (a) A citizen of India, or
- (b) A subject of Nepal, or
- (c) A subject to Bhutan, or
- (d) A Tibetan refugee who come over to India before the 1st January, 1962 with the intension of permanently settling in India, or

Contd. on P.NO. 5/-

-5-

- (a) a person of India origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka, East African countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania (Formerly Tanganyika and Zanzibar), ~~Ex~~ Zambia, Malwa, Zaire and Ethiopia with the intention of permanently settling in India;

Provided that a candidate belonging to categories (b), (c), (d) and (e) shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Govt. of India.

A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to an examination or interview conducted by the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting authority, but the offer of appointment may be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Govt. of India.

15. Selection for appointment to post by direct recruitment.

Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of viva-voce test, if the H.P. Public Service Commission or other recruiting authority as the case may be, so consider necessary or expedient by a written test or practical test, the standard/syllabus etc. of which will be determined by the Commission/ other recruiting authority, as the case may be.

16. Reservation.

The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/ Scheduled Tribes/ Backward Classes other categories of persons issued by the Govt. of India from time to time.

17. Power to relax.

Where the State Govt. is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may be ordered for reasons to be recorded in writing and in consultation with the H.P. Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category ~~ex~~ of persons or post.

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

.....

हिमाचल प्रदेश सरकार
तकनीकी शिक्षा व्यावसायिक एवं
औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग ।

संख्या: - एस0टी0वी0(टीई)02)4/85-11 तारीख: -

15/10/1987

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग में अध्यापक/अनुदेशक चुनाई पद की वावत संलग्न अनुवन्ध 'अ' के अनुसार निम्नलिखित भर्ती एवं प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात: -

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, अध्यापक/अनुदेशक चुनाई वर्ग-111 अराजपत्रित पद के भर्ती एवं प्रोन्नति नियम 1987 है ।

(11) ये नियम इस अधिसूचना के जारी किये जाने की तारीख से प्रवन्त होंगे ।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतनामान, अहंताएँ और भर्ती की पद्धति :

हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग में अध्यापक/अनुदेशक चुनाई के पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतनामान, अहंताएँ और भर्ती की पद्धति ऐसी होगी जैसी उपावन्ध 'क' में विनिर्दिष्ट है ।

3. निरसन और व्यावृत्ति :

अधिसूचित
अध्यापक/अनुदेशक
चुनाई

इस विभाग की अधिसूचना सं01-150/69एस0
आई0 (स्था) दिनांक 23 जनवरी 1970 द्वारा /

के पदों के लिए भर्ती एवं प्रोन्नति नियम
स्तद्वारा निरसित किए जाते हैं ।

: 2 :

परन्तु इसे निरसन से, कथित नियमों के पूर्व प्रवर्तन या उनके तदधीन की गई किसी बात या कार्रवाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

आदेश द्वारा,

अत्तर सिंह,

वित्तायुक्त एवं सचिव तकनीकी शिक्षा
व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग
हिमाचल प्रदेश सरकार।

संख्या: - एसओटीओवी(टीई) की (2)/85-11, तारीख: -

शिमला-2 15¹⁰/₈₇

एक प्रति निम्नलिखित का सूचनार्थ एवं उचित कार्रवाई के लिए प्रेषित :-

1. समस्त सचिव/लेफ्ट सचिव/उप सचिव/अवर सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला-2।
2. समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश।
3. नियन्त्रक मुद्रण एवं लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश शिमला को निवेदन है कि वे राजपत्र असाधारण में प्रकाशित करें और इस की 75 प्रतियाँ इस विभाग को भेजें ताकि नियमों की प्रतियाँ विधान सभा को भेजी जा सकें।
4. निदेशक, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण हिमाचल प्रदेश सुन्दरनगर जिला मण्डी (10 प्रतियाँ)।
5. उप विधि, परामर्शी, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2।
6. सहायक विधायी प्रारूपकार (हिन्दी) हि0प्र0 सचिवालय।

हरि चन्द
(हरि चन्द)

अवर सचिव (तकनीकी शिक्षा)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

: 2 :

उपावध

तकनीकी शिक्षा व वसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग हिमाचल प्रदेश में अध्यापक अनुदेशक/ चुनाई वर्ग-3 अराजपत्रित के पद के लिए भर्ती एवं प्रोन्नति नियम :-

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. पद का नाम : | अध्यापक/अनुदेशक चुनाई । |
| 2. पदों की संख्या: | एक (1) |
| 3. वर्गीकरण: | तृतीय वर्ग (अराजपत्रित) |
| 4. चयन पद या अचयन पद: | अचयन पद |
| 5. वेतनमान: | 510-940 |
| 6. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु: | 18 से 32 वर्ष । |

परन्तु सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा तदर्थ या संविदा पर नियुक्त सहित, पहले ही सरकार की सेवा भारत अभ्यर्थियों पर लागू नहीं होगी ।

परन्तु यह और भी कि यदि तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख की अधिकतम हो गया हो तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में शिथिलीकरण के लिए पात्र नहीं होगा ।

परन्तु यह और भी कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिए उच्चतम आयु सीमा में उतना ही शिथिलीकरण किया जा सकेगी जितना कि हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेशों के अधीन अनुज्ञेय है ।

परन्तु यह और भी कि पब्लिक सैक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के सभी कर्मचारियों को जो ऐसे पब्लिक सैक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सैक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों में शामिलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु की सीमा में ऐसी ही रियायत दी जायेगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सैक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारीवृन्द को नहीं दी जायेगी जो पश्चातवर्ती ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सैक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से शामिलित किए गए हैं/किए गए थे ।

टिप्पणी : 1. सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना, उस वर्ष के प्रथम दिन से की जायेगी जिसमें आवेदन आमंत्रित करने के लिए पृथग्विध पद, विज्ञापित या नियोजनालयों को अधिसूचित किए जाते हैं ।

टिप्पणी: 2. अन्य या सुझाईत अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव आयोग के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा ।

7. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अहंताएँ:

अनिवार्य

(1) किसी मान्यता प्राप्त विश्व-विद्यालय/बोर्ड से मैट्रिक या इसके समतुल्य ।

: 2:

- (2) रन 0 सी 0 वी 0 0 टी द्वारा मान्यता, जारी किया गया संबंधित व्यावसाय (हस्त या मशीन द्वारा बनाई) में राष्ट्रीय व्यावसाय प्रमाण-पत्र ।
- (3) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान और या प्रतिष्ठा प्राप्त औद्योगिक संस्थान में संबंधित व्यावसाय में कम से कम दो वर्ष का अनुभव ।

वांछनीय अर्हताएं :

- (1) दस्तकारी प्रशिक्षण संस्थान से प्रशिक्षित ।
- (2) हिमाचल प्रदेश की रदियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में निपुणता के लिए उपयुक्तता ।

8. सीधी भर्ती किस जाने वाली व्यक्तियों के लिये विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं :

आयु: नहीं ।
शैक्षिक अर्हताएं: नहीं ।

9. परीक्षा की अवधि, यदि कोई हो तो: दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जहां सभ्य प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दें ।

10. भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भर्ती जाने वाली शक्तियों की प्रतिशतता:

सीधी भर्ती द्वारा ।

11. प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियाँ, जिसमें प्रोन्नति प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण किया जाएगा ।

लागू नहीं ।

टिप्पणी: ।

प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व संभरण पद में 31.12.1983 तक की गई तदर्थ सेवा यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुये हिसाब में ली जासगी:

(क)

उन सभी मामलों में जहां कोई कनिष्ठ व्यक्ति संभरण पद में अपने कुल सेवाकाल (31.12.1983 तक की गई कुल तदर्थ सेवा को शामिल करके) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपवर्गों के कारण विचार के लिए पात्र हो जाता है, वहां उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार के लिए पात्र समझे जायेंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जायेंगे ।

: 3:

परन्तु प्रोन्नति के लिए विचार किए जाने वाले सभी पदाधिकारियों की संख्या से कम तीन वर्षों के अनुभव होना आवश्यक है। नतीजा प्रोन्नति नियमों में विहित होता है, जो भी एक हो, होना चाहिए।

परन्तु यह और कि जहाँ कोई व्यक्ति पूर्णगामी पद पर ही अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति के विचार के लिये अपात्र हो जाता है वहाँ उससे कमिष्ट व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र माना जाएगा।

(ब)

इसी प्रकार, स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसी पद पर नियुक्ति से पूर्व 31.12.1983 तक की यह तदर्थ सेवा यदि कोई हो, गणना के लिए हिसाब में ली जाएगी।

(ग)

परन्तु स्थायीकरण के परिणामस्वरूप तदर्थ सेवा को हिसाब में लेकर पारस्परिक जटिलता, अपरिचित रहती।

31.12.1983 के पश्चात की गई तदर्थ सेवा प्रोन्नति/स्थायीकरण के प्रयोजन के लिए हिसाब में नहीं ली जाएगी।

टिप्पणी-2

जहाँ सभी नियम 2 के अनुसार पदों में पदोन्नति होती है तो नियम 10 और 11 के उपबन्ध, सरकार द्वारा लोक सेवा आयोग के परामर्श से पुनरीक्षित किए जाएंगे।

12.

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना :

जैसा कि सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।

13.

भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में विभाजित प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाएगा।

जैसा कि विधि द्वारा अशोषित है।

14.

सीधी भर्ती किस जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षा

किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अपेक्षा कि नलिखित अवश्य होना चाहिए :-

(क)

भारत का नागरिक हो

(ख)

नैपथ्य की प्रजा हो

(ग)

भूतान की प्रजा हो

(घ)

विदेशी शासन से एक जनता 1962 के पक्ष भारत में स्थायी निवास के लिए आवास के लिए आया हो।

(ङ)

भारतीय हो या कोई व्यक्ति जिसने, मॉरिशस, मॉरिशस, पद अफ्रीका के देशों या क्षेत्रों, सुमात्रा, पुनाइरे, रिपब्लिक ऑफ़ तेजानिया (पद) मॉरिशस और जमीनिया,

...4...

जांभिया, मालवा, जेधर और इक्षोपिया से, भारत में साथी निवासियों के साथ
से प्रकाश किया है :

परन्तु प्रवर्ग(अ)(ग)(घ)और (ङ) के अन्वार्थी
ऐसे व्यक्ति होंगे जिनके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण-पत्र
जारी किया है ।

ऐसे अन्वार्थी जो, जिनके मामले में पात्रता का प्रमाण-
पत्र आवश्यक हो, विवाचित प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती
प्राधिकरण द्वारा संचालित परीक्षा । समाचार में प्रवेश किये जा रहेगा
किन्तु उसे नियुक्ति का प्रस्ताव, भारत सरकार द्वारा उसे पात्रता का
अपेक्षित प्रमाण-पत्र जारी किए जाने के पश्चात ही दिया जाएगा ।

15

सही भर्ती द्वारा पद पर
नियुक्ति के लिए चयन ।

सही भर्ती के मामले में, पद पर नियुक्ति
के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर
और यदि, यथास्थिति, विरुद्ध प्रवेश लोक
सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण
ऐसी कानून आवश्यक या एकीकृत है,
लिखित परीक्षा या व्यवहारिक परीक्षा के
आधार पर दिया जाएगा जिसका स्तर,
/ पाठ्यक्रम यथास्थिति, आयोग/अन्य भर्ती
प्राधिकरण द्वारा अन्वार्थित किया जाएगा ।

16

आरक्षण

उक्त सेवा में नियुक्ति, विवाचित परीक्षा
द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों
/ अनुसूचित जनजातियों / किछे वर्गों का
अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए आरक्षण को
वापस जारी किए गए जायेंगे ।

17

शिक्षित करने की शक्ति :

जहाँ राज्य सरकार को यह राय हो कि
ऐसा करना आवश्यक है या उचित है
तो यह कारणों को अनिवार्य करे और
लोक सेवा आयोग के परामर्श में, विदेश
द्वारा, विवाचित प्रदेश इन दिनों में
किन्हीं उपायों को किसी वर्ग या व्यक्तियों के प
के प्रवर्ग या पदों को वापस, शिक्षित
कर रहेगी ।